- 1" "परिशिष्ट 'अ'" [5/8/2025]

प्रश्न सं. [क्र. 2643] अतारांकित प्रश्न क्र. 2643

कार्यालय अपराध अनुसंधान विभाग पुलिस मुख्यालय, भोपाल

क्रमाक–अअवि / विस / मान.सत्र–19 / तारा–3268 / 768 2023 दिनांक 27.12.2023

प्रति,

डॉ. राजेश राजौरा,
अपर मुख्य सचिव,
म0प्र0 शासन,गृह विभाग,
मंत्रालय, वल्लभ भवन,भोपाल।

विषयः– मानसून सत्र 2019 के तारांकित प्रश्न सं. 16 (क्रं. 3268) दिनांक 22.07.2019 का गलत जबाव दिए जाने के संबंध में मान0 सदस्य श्री बैजनाथ कुशवाह द्वारा की गई शिकायत का परीक्षण के संबंध में ।

संदर्भः– आपके कार्यालय का अर्द्ध शासकीय पत्र कं./13–140/2019/बी–1/दो, भोपाल, दिनांक 11.12.2023

कृपया विषयांकित संदर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें। आपके संदर्भित अर्द्ध शासकीय पत्र के माध्यम से चाही गई जानकारी निम्नानुसार है :–

थाना चिन्नोनी कें अप.क्र. 22/16 धारा 409, 420, 467, 468, 471 भादवि. की विवेचना के दौरान ऐसे तथ्य प्रकाश में नही आये है जिससे आरोपीगणों के विरूद्ध माननीय न्यायालय में धारा 409,420,467,468,471 इजाफा धारा 120 (बी) भादवि के अंतर्गत अभियोग पत्र दाखिल किया जा सके। अपराध की संपूर्ण विवेचना, कथन गवाहन, सभी जांच रिपोर्ट आदि से प्रकरण के आरोपीगणों के विरूद्ध चालानी साक्ष्य प्राप्त नही हुये। अतः प्रकरण में खात्मा क्रमांक 04/22 दिनांक 03.10.22 तैयार किया गया। खात्मा माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया जा चुका है। उक्त खात्मा माननीय जे.एम.एफ.सी. न्यायालय जौरा जिला मुरैना के एम.जे.सी.आर. क्रमांक 217/22 पर दर्ज होकर विचाराधीन है।

पुलिस अधीक्षक मुरैना द्वारा थाना चिन्नोनी के मालखाने में दीमक लगने से अप.क्र. 22/16 के माल को दीमक द्वारा नष्ट करने पर पुलिस अधीक्षक मुरैना द्वारा पत्र क्रमांक/पुअ/मुरैना/स्टेनो/प्रा. जां./15/2022 दिनांक 25/02/2022 के माध्यम से त्रुटिकर्ता अधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध प्राथमिक जांच आदेशित की थी। जॉच में पाये गये तथ्यों के आधार पर पत्र क्रमांक/पुअ/ मुरैना/स्टेनो/सजा/90/2023 दिनांक 11.12.2023 के द्वारा त्रुटिकर्ता उप निरीक्षक अविनाश सिह राठौर हाल– थाना प्रभारी नगरा को रू0 2500/– एवं सउनि भारत सिह हाल– पुलिस लाइन को रू0 2500/– तथा प्रआर 224 रमेशचन्द्र हाल– थाना सबलगढ को निन्दा की सजा से दण्डित किया गया है।

(जी.पी. सिंह)
विशेष पुलिस महानिदेशक
अअवि, पुमु, भोपाल

क्रमाक–अअवि / विस / मान.सत्र–19 / तारा–3268 / 768 /2023 दिनांक 27.12.2023

प्रतिलिपिः– श्री अन्नू भलावी, अवर सचिव, म.प्र. शासन गृह(पुलिस) विभाग, वल्लभ भवन भोपाल के पत्र क्रमांक 4156/836620/2022/बी–1/दो, भोपाल दिनांक 17.11.2022, पत्र कमांक 1187/836620/2022/बी–1/दो, भोपाल दिनांक 22.02.2023 एवं कमांक 1938/836620/2022/बी–1/दो, भोपाल दिनांक 06.04.2023 के कम में।

26/12/23

(जी.पी. सिंह)
विशेष पुलिस महानिदेशक
अअवि, पुमु, भोपाल

– 2 –

Scanned with CamScanner

मध्यप्रदेश शासन
गृह एवं विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल -462004

दूरभाष { कार्या. : 0755-2708060
निवास : 0755-2984524
E mail : pshome@mp.gov.in
psjail@mp.gov.in

डॉ.राजेश राजोरा आई.ए.एस.
अपर मुख्य सचिव

अर्द्ध.शा.प.क्र. 13-140/2019/बी(1) दो
भोपाल दिनांक 11/12/2023

12 DEC 2023

14 DEC 2023

प्रिय महोदय,

संदर्भ–इस विभाग का पत्र क. 1938/836620/2022/बी–1/दो, दिनांक 17.11.2022 दिनांक 22.02.2023 एवं 06.03.2023

कृपया पार्श्व में अंकित संदर्भित पत्रों का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से विधानसभा सचिवालय से प्राप्त पत्र कमांक 14408/वि.स./प्र.सं.स/2022 संलग्न कर जानकारी चाही गई थी, जो आज दिनांक तक अप्राप्त है।

कृपया अनुरोध है कि अतारा.प्रं.सं. 16 (क0 3268) दिनांक 22.07.2019 का गलत जवाब दिये जाने के संबंध में जानकारी शीघ्र इस विभाग को उपलब्ध करने का कष्ट करें। सुलभ संदर्भ हेतु पत्र की छायाप्रति संलग्न प्रेषित है।

संलग्न–उपरोक्तानुसार।

शुभेच्छु

भवदीय

(डॉ0 राजेश राजोरा)

श्री सुधीर कुमार सक्सेना,
पुलिस महानिदेशक
मध्यप्रदेश,
पुलिस मुख्यालय, भोपाल।

Scanned with CamScanner